

भाग एक : खण्ड दस

¹ वन (संरक्षण) नियम, 2014 (केन्द्रीय नियम)

अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन (संरक्षण) नियम 2003 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'वन (संरक्षण) संशोधन नियम 2014 है।'
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा - इस नियम में जब तक संदर्भ में से अन्यथा अभिप्रेत न हो:
 - (1) 'अधिनियम' से तात्पर्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (क्र. 69 वर्ष 80) से है।
 - (2) 'समिति' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित वन परामर्श दात्री समिति से है।
 - (3) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है।
 - (4) 'सदस्य' से तात्पर्य समिति के सदस्य से है।
 - (5) 'नोडल आफिसर' से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा अधिकृत वह अधिकारी, जो वन संरक्षक की श्रेणी से कम न हो, और जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत वन संरक्षण के मामले निपटाने हेतु अधिकृत किया गया हो।
 - (6) 'क्षेत्रीय कार्यालय' (Regional Agency) से तात्पर्य केन्द्र शासन के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के भाग के रूप में स्थापित कार्यालय से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मामले निपटावेगा।
 - (7) 'धारा' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
 - (8) 'उपयोगकर्ता एजेंसी' (User Agency) से तात्पर्य कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी या केन्द्र या राज्य शासन के विभाग से है जो वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन में उपयोग करने के लिए वन भूमि के रूप परिवर्तन (Diversion) या अनारक्षण (Denotification) के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र शासन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन देता है।

'वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, -

(1) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् -

“(खक) "वन संरक्षक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन सर्किल का भार धारण करने के लिए वन संरक्षक मुख्य वन पाल या प्रादेशिक मुख्य वनपाल के पदाभिदान या किसी ऐसे सदृश्य पदाभिदान के अधीन यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है;”।

(11) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(गक) "प्रभागीय वन अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन प्रभाव का भार धारण करने के लिए वन अधिकारी या उप वन संरक्षक के पदाभिदान या किसी ऐसे सदृश्य पदाभिदान के अधीन यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है;”।

3. (1) वन परामर्श दात्री समिति का गठन : वन परामर्श दात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(i) वन महा निदेशक

अध्यक्ष

| | |
|--|------------|
| वन तथा पर्यावरण मंत्रालय | |
| (ii) अपर वन महानिदेशक | सदस्य |
| वन तथा पर्यावरण मंत्रालय | |
| (iii) अपर आयुक्त (भूमि संरक्षण) कृषि मंत्रालय | सदस्य |
| वन खनन, सिविल इंजिनियरिंग और | |
| (iv) विकास के प्रत्येक खण्ड के आर्थिक विशेषज्ञ (अशासकीय) | सदस्य |
| (v) महानिरीक्षक वन (वन संरक्षण) | सदस्य सचिव |
| वन तथा पर्यावरण मंत्रालय | |

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा.का.नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के नियम 2 में जोड़ा गया।

(2) शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति का गठन : प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शक्ति प्राप्त समिति गठित की जावेगी जिसमें -

- | | |
|--|--------------|
| (i) क्षेत्रीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक | अध्यक्ष |
| (ii) खनन, सिविल इंजिनियरिंग तथा विकास के आर्थिक विशेषज्ञ (अशासकीय) | सदस्य |
| (iii) वन संरक्षक या क्षेत्रीय कार्यालय का उपवन संरक्षक | सदस्य (सचिव) |

(4) अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की निम्न शर्तें होंगी :

- (i) अशासकीय सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
- (ii) यदि अशासकीय सदस्य, किसी मानसिक विकृति से ग्रस्त हो जावे, दिवालिया हो जावे या नैतिक अपराध में फौजदारी मुकदमें में न्यायालय ने दोष सिद्ध का निर्णय दिया हो, तो सदस्यता समाप्त हो जावेगी।
- (iii) यदि अशासकीय सदस्य, बिना समुचित कारणों के, तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे तो उसको सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- (iv) उपरोक्त (ii) या (iii) के कारण हुए रिक्ति पर शासन 2 वर्ष से शेष रहे कार्यकाल हेतु नियुक्ति कर सकता है।
- (v) अशासकीय सदस्यों को केन्द्र शासन के 'A' श्रेणी के अधिकारी के उच्चतम दर से, जो केन्द्र शासन समय समय पर आदेशित करे, यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जावेगा।

परन्तु लोक सभा के सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्यों को लोक सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधि. 1954 (30 वर्ष 1954) के अनुसार तथा विधान सभा के सदस्य को उसके राज्य द्वारा बनाये अधिनियम के अनुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय होगा।

(5) समिति के कार्य का संचालन

- (i) अध्यक्ष जब आवश्यक हो, बैठक आहूत करेगा लेकिन माह में एक बार से कम नहीं।
- (ii) समिति की बैठक नई देहली में होगी।
- (iii) यदि अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस भूमि का, जिसको गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लेना है स्थल निरीक्षण आवश्यक है या प्रस्ताव जो नियम (6) के उपनियम (3) के अन्तर्गत प्राप्त

हुआ है के शीघ्र निराकरण में उपयोगी होगा तो वह बैठक नई देहली के बजाय उस स्थान पर, जो स्थल के निरीक्षण में सुविधा जनक हो, बैठक आहुत करेगा ।

- (iv) अध्यक्ष, हर बैठक, जिनमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा ।
- (v) उस हर विषय पर, जिस पर समिति को केन्द्र शासन को राय देना है उस पर समिति की बैठक में विचार किया जावेगा परन्तु आवश्यक परिस्थिति में, जब बैठक एक माह के अन्दर आहुत न की जा सके, अध्यक्ष यह आदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित प्रपत्र सदस्यों को भेजे जावें तथा उनकी राय निर्धारित दिनांक तक मांगी जावे ।

(6) समिति की बैठक का कोरम तीन सदस्य का होगा ।

''6. अधिनियम की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव का प्रस्तुति

- (1) प्रत्येक प्रयोक्ता अभिकरण जो गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि का उपयोग कराना चाहता है, इन नियमों से संलग्न सुसंगत प्ररूप अर्थात् : अधिनियम के अधीन पहली बार अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव के लिए प्ररूप 'क' जहां अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है वहां पट्टों के नवीकरण की ईप्सा करने वाले प्रस्ताव के लिए प्ररूप 'ख' और खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्ररूप 'ग' सभी की बाबत पूर्ण अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों सहित संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी को सुसंगत प्ररूप में अपने प्रस्ताव करेगा।
 - (2) प्रयोक्ता अभिकरण, नोडल अधिकारी के कार्यालय से अभिप्राप्ति की रसीद की प्रति के साथ प्रस्ताव की एक प्रति संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी, जिला कलेक्टर और प्रादेशिक कार्यालय साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग के निगरानी प्रकोष्ठ को पृष्ठांकित करेगा।
3. (क) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् और उसका यह समाधान हो जाने पर कि सभी प्रकार से प्रस्ताव पूर्ण है और यह अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करता है, प्रस्ताव की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी और जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेगा।
- (ख) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है तो वह उपभोक्ता अभिकरण को दस दिन की अवधि के भीतर इसे वापस करेगा और प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किए जाने के लिए उपभोक्ता अभिकरण द्वारा ली गई यह समय अवधि और लिए गए समय को किसी भावी संदर्भ के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।
- (ग) प्रभागीय वन अधिकारी, वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, मानचित्र प्रमाणित करेगा, स्थल निरीक्षण और वृक्षों की परिगणना करेगा और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।
- (घ) प्रभागीय वन अधिकारी, चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक तथा एक सौ हैक्टर से अधिक वन भूमिको सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्ष क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को भेजेगा।
- (ङ) जिला कलेक्टर, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) जिसे एक आर ए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के परिनिर्धारण के लिए प्रक्रिया पूरी करेगा और ग्राम सभा या ग्राम सभाओं से सम्मति प्राप्त करेगा, जब कभी आवश्यक हो और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षण को अग्रेषित करेगा।

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा.का.नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के नियम 2 में जोड़ा गया।

- (च) जिला कलेक्टर एफ आर ए के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन के संबंध में अपने निष्कर्षों के साथ प्रस्ताव और चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक और एक भी हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव की बावत् ग्राम सभा या ग्राम सभाओं की सम्मति जहाँ अपेक्षित हो क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।
- (छ) वन संरक्षक, वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, अपवर्तन किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र चालीस हैक्टर से अधिक है, उस मामले में स्थल निरीक्षण करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव और एफ आर ए के अधीन अधिकारों के परिनिर्धारण पर रिपोर्ट और जब कभी आवश्यक हो जिला कलेक्टर से प्राप्त संबद्ध से प्राप्त संबद्ध ग्राम सभा या ग्राम सभाओं की सम्मत नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (ज) वन संरक्षक द्वारा प्रकिया के लिए लिया गया समय और नोडल अधिकारी को चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर अधिक वन भूमि सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव क्रमशः दस दिन और तीस दिन से अनधिक के लिए अग्रेषित करेगा।
- (झ) नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सिफारिशों के साथ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।
- (ण) नोडल अधिकारी पांच हैक्टर तक, पांच हैक्टर से अधिक और चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर से अधिक और सौ हैक्टर तक और सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्षों सहित क्रमशः दस दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन और तीस दिन की अवधि के भीतर कार्यवाही करेगा और उसे यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा।
- (ट) यदि यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में, उपदर्शित वनभूमि को गैर वन के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, अनारक्षित या अपवर्तन या पट्टे पर नहीं देने का विनिश्चय कर सकेगा उसी को नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को संसूचित किया जाएगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि का अपवर्तन सम्मिलित करते हुए सभी प्रस्ताव जहाँ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में उपदर्शित गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थिति अनारक्षित या अपवर्तन करने के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए सिद्धांततः सहमत नहीं है, वहाँ यथास्थिति राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन की टीका-टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(ठ) यथास्थिति, राज्य सरकार वा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ उन समी प्रस्तावों को अग्रेषित करेगा जहाँ यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थिति, अनारक्षित या अपवर्तन करने के लिए या प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि पट्टे पर समनुदेशित काने के लिए सिद्धांततः सहमत हैं और केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन को अंतर्वलित करते हुए सभी प्रस्ताव तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजेगें :

परंतु पुनर्वरोपण के लिए इसके उपयोग के प्रयोजन के लिए वन भूमि या इसके भाग पर वृक्षों को काट गिराने वाले सभी प्रस्ताव कार्य योजना या कार्यक्रम स्कीम या प्रबंधन योजना के रूप में भेजे जाएंगे।

परंतु यह और कि यथास्थिति, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अग्रेषित करने के बारे में प्रयोक्ता अभिकरण या यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचना भेजेगा।

परंतु यह भी कि यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्यक्षेत्र प्रशासक में विभिन्न प्राधिकारियों के बीच प्रस्ताव के परिवहन के लिए अनन्य रूप से लिया गया कुल समय प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट समय अवधि से बीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(ड) जब कभी कार्यवाही के लिए यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा लिया गया प्रस्ताव के लिए लिया गया समय उपरोक्त (क) से (ठ) अनुबद्ध समय सीमाओं से अधिक होता है तब केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल तब प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा यदि विलंब के लिए उत्तरदायी होने के लिए धारित किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के साथ केन्द्रीय सरकार का समाधान करने के लिए विलम्ब हेतु स्पष्टीकरण दिया जाता है।

4 (क) चालीस हैक्टर तक वन भूमि सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ठ) में निर्दिष्ट प्रस्ताव को इसकी सिफारिशों के साथ यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(ख) चालीस हैक्टर से अधिक वन भूमि सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रस्ताव, संबद्ध यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(ग) पुनः वनरोपण के लिए उसके उपयोग के प्रयोजन के लिए वनभूमि या उसके भाग में वृक्षाविहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उपनियम (3) के खंड (ठ) में निर्दिष्ट प्रस्ताव संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय को भेजे जाएंगे।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को प्रक्रिया

(1) (क) प्रादेशिक कार्यालय, नियम 6 के उपनियम (4) के खंड (क) और खंड (ग) निर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् पांच कार्य दिवस के भीतर प्रस्ताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ख) यदि प्रादेशिक कार्यालय यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है, तों वह यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदर्शित पांच कार्य दिवस के भीतर वापस करेगा और इस अवधि तथा प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये गये समय की किसी प्रावी निदेश के लिए गणना नहीं की जाएगी।

- (2) (क) प्रादेशिक कार्यालय, खनन और अधिक्रमण संबंधी प्रस्ताव से भिन्न पांच हैक्टर तक वनभूमि सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव की जांच करेगा जो सभी प्रकार से पूर्ण है प्रस्ताव की ऐसी और जांच के पश्चात् और जो वह आवश्यक समझे, अनुबद्ध शर्तों के पूरा होने के अध्यक्षीन सिद्धांततः अनुमोदन मंजूर करेगा या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से इसकी प्राप्ति के पच्चीस दिनों के भीतर उसे अस्वीकार करेगा और उसे अगले पांच दिनों के भीतर यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगा।
- (ख) पांच हैक्टर से अधिक और चालीस हैक्टर तक वनभूमि सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव और चालीस हैक्टर तक अधिक्रमण और खनन के विनियमतीकाण के लिए सभी प्रस्ताव जो सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, उन्हें राजस्व विभाग वन विभाग, योजना विभाग, या वित्तीय विभाग और संबद्ध विभाग जिसके प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाले सलाहकार समूह के परामर्श से प्रादेशिक कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी।
- (ग) प्रादेशिक कार्यालय, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक से प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतीस दिन की अवधि के भीतर, सलाहकार समूह के विचारों के साथ ऐसा प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अभिप्रास को के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजेगा।
परंतु प्रादेशिक कार्यालय से पर्यावरण और वन मंत्रालय के भेजे जाने के लिए प्रस्ताव के पारगमन में लिया गया समय पांच दिन से अधिक नहीं होगा।
- (घ) केन्द्रीय सरकार, सलाहकार समूह के विचारों पर विचार करने के पश्चात् और आगे जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् सिद्धांततः अनुबद्ध शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या प्रादेशिक कार्यालय से इसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसी को अस्वीकृत कर सकेगा और अगले पांच कार्य दिवसों के भीतर संबद्ध यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगा।
- (3) (क) पुनः वनरोपण के लिए इसमें उपयोग के प्रयोजन के लिए वन भूमि या उसके किसी भाग में वृक्षाहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सभी प्रस्तावों का निपटान अंतिम रूप से यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्रस्तावों की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- (ख) प्रस्ताव की परीक्षा करते समय प्रादेशिक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम विनिश्चय समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय वन नीति, कार्यकरण योजना मार्ग दर्शक सिद्धांत और अन्य सुसंगत नियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप है।
- (ग) तथापि, प्रादेशिक कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व अनापत्ति चाहेगा जब कभी सम्मिलित क्षेत्र को ध्यान दिए बिना चालीस प्रतिशत से अधिक पूर्ण घनत्व वाली वन भूमि को वृक्ष विहीनता प्रस्ताव में शामिल है या घनत्व को ध्यान दिए बिना बीस हैक्टर मैदानों में और दस हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्रों में वन विहीन क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- (4) (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नियम 6 उपनियम (4) के संड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् दस दिन के भीतर प्रस्ताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय यदि यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है तो यह यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को खंड (क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दस दिन की अवधि के भीतर वापस करेगा और राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत करने में ली गई समय अवधि और समय को किसी भावी निर्देश के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(ग) यदि प्रस्ताव में सौ एकड़ से अधिक वन भूमि अंतर्वलित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय सभी वनभूमि का निरीक्षण करने के लिए संबद्ध प्रादेशिक निदेशक से अनुरोध करेगा और पैंतालीस वन की अवधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा।

परंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से निरीक्षण स्थल के लिए प्रादेशिक कार्यालय को अनुरोध की संसूचना में लिया गया कुल समय और प्रादेशिक कार्यालय से पर्यावरण और मंत्रालय को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की संसूचना में लिये गया कुल समय प्रादेशिक कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने में लिए गए समय से अधिक दस दिन से अनधिक नहीं होगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव जो भली प्रकार से पूर्ण है जिसे स्थल निरीक्षण से रिपोर्टों सहित जहां अपेक्षित हो, नियम 6 के उपनियम (4) के खंड (ख) के अधीन इसके द्वारा प्राप्त किया गया था, इसकी सलाह के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी और समिति उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के तीस दिन के भीतर अपनी सलाह देगी।

(ङ) समिति, खंड (घ) के अधीन इसे निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपनी सलाह देते समय निम्नलिखित सभी मामलों को सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी -

(i) क्या गैर वन के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि प्राकृतिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीव रिजर्व का भाग बनाती है या वनस्पति और जीव जंतु की प्रजाति के लिए किसी खतरे या आशंका के प्राकृतिक वास का भाग बनाती है या पृथकतः क्षय आवाह में आने वाला क्षेत्र है।

(ii) क्या वन भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण से अपने निवास से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है।

(i) क्या यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने प्रमाणित किया है कि इसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार किया है और यह कि परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प संभाव्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र, प्रयोजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।

(ii) क्या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी समतुल्य क्षेत्र और उसके पुर्नवीकरण की भूमि का अर्जन करने के लिए इसकी लागत पर उपबंध करने के लिए जिम्मा लिया है।

(iii) क्या वन भूमि की प्रतियूनिट अपेक्षा उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय औसत से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

(iv) क्या यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने अपनी सिफारिशें करने से पूर्व वन, वन्यजीव और वातावरण पर वनभूमि के अपवर्जन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव रखते हुए सभी मुद्दों पर विचार किया है।

(च) सलाह देते समय, समिति किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के उपयोग पर किसी शर्त या निर्बंधन का भी सुझाव दे सकेगी जो इसकी राय में प्रतिकूल पर्यावरणीय समाघात को न्यून करेगा।

(छ) केन्द्रीय सरकार खंड (ड) और खंड (च) के अधीन समिति की राय पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी आगे जांच जिसे आवश्यक समझा जा सके, के पश्चात् अनुबद्ध शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन सिद्धांत: अनुमोदन करेगी या समिति से सलाह की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे अस्वीकृत करेगी और उसी की अगले पांच कार्य दिवस के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित करेगी।

8. सिद्धांततः अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट की प्रस्तुति -

- (1) (क) नोडल अधिकारी सिद्धांततः अनुमोदन की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर उसी की एक प्रति संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी और वन संरक्षक को पृष्ठांकित करेगा।
- (ख) सिद्धांततः अनुमोदन की प्राप्ति की प्रतियों पर प्रभागीय वन अधिकारी, सृजन की लागत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदत्त किए जाने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण के बनाए रखने, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) जलग्रहण क्षेत्र बहिस्त्राव योजना के क्रियान्वयन की लागत या वन्यजीव संरक्षण योजना आदि में क्षतिपूरक उद्ग्रहणों की मद वार रकम अंतर्विष्ट करते हुए मांग टिप्पण तैयार करेगा और उसे प्रयोक्ता अभिकरण को सिद्धान्त अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों प्रमाणपत्रों की सूची और वचनबंधों के साथ सिद्धांततः अनुमोदन की प्रति प्राप्ति के दस दिन के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को संसूचित करेगी।
- (ग) प्रयोक्ता, अभिकरण, प्रभागीय वन अधिकारी से मांग टिप्पण और दस्तावेजों प्रमाणपत्रों और वचनपत्रों की सूची की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर क्षतिपूर्ण उद्ग्रहणों का संदाय करेगा और उक्त सूची में उपदर्शित दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और वचनबंधों के साथ क्षतिपूर्ति उद्ग्रहणों के संदाय की बावत् दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति अंतर्विष्ट करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (घ) वन संरक्षक, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।
- (ड) यदि प्रभागीय वन अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण को अनुपालन रिपोर्ट की कमी या कमियों को संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो उस प्रयोक्ता अभिकरण से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।
- (च) वन संरक्षक, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।
- (छ) यदि वन संरक्षक यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह प्रयोक्ता अभिकरण और प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी कमी या कमियों को संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो उसे प्रभागीय वन अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (ज) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।
- (झ) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन भीतर प्रयोक्ता अभिकरण वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट की कमी या कमियों के बारे में संसूचित करेगा और यदि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो इसे वन संरक्षक से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

- (ज) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नोडल अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।
- (ट) यदि यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट अपूर्ण है तो वह नोडल अधिकारी से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रयोक्ता अभिकरण नोडल अधिकारी, वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को इसकी अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों के बारे में संसूचित करेगा।
- (ठ) यथास्थिति पर्यावरण या वन मंत्रालय या प्रादेशिक कार्यालय अनुपालन रिपोर्ट पालन करने के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।
- (ड) यदि यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय या प्रादेशिक कार्यालय यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण है तो यह अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन के अनुरूप होगी और उसी की अनुपालन रिपोर्ट, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, प्राप्ति के बीस दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को संसूचित किया जाएगा।
- (ढ) अनुपालन रिपोर्ट में कमी या कमियों को पूरा किए जाने पर रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाएगी और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय सरकार को ऊपर खंड (घ) से खंड (ड) में अनुबद्ध रीति और समय सीमा में संबद्ध प्राधिकारियों को अश्रेष्ठित की जाएगी।
- (2) (क) उन मामलों में जहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से पांच वर्ष से अधिक के लिए सिद्धांत: अनुबद्ध के अनुबद्ध शर्तों का पालन प्रतीक्षित है वहां सिद्धांततः संक्षेप में प्रतिसंगृहीत किया जाएगा।
- (ख) यदि यथास्थिति, प्रयोक्ता अभिकरण या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अब भी परियोजना में हितबद्ध है तो प्रतिसंहरण के पश्चात् वे नए प्रस्ताव कर सकेंगे जिस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।
- (3) (क) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा खनन परियोजना के लिए अधिनियम के अधीन किए गए सिद्धांततः अनुबद्ध अनुमोदन में शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व और सिद्धांततः अनुमोदन की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन की मंजूरी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के नए सिरे से प्रस्तुति के बजाए खनन पट्टे की विधिमान्यता समाप्त होती है तो यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन सिद्धांततः अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय खनन पट्टे की बीस वर्ष से अनधिक मूल अवधि जिसके लिए सिद्धांततः अनुमोदन पहले किया गया है और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खनन पट्टे के नवीकरण के लिए भी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन के लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार अंतिम अनुमोदन मांग सकेगी।
- (ख) ऐसे प्रस्तावों को यथा लागू कानूनों परिपत्रों या निदेशों के अनुपालन पर रिपोर्ट जो सिद्धांततः अनुमोदन की मंजूरी के पश्चात् प्रवृत्त हुई थी, यदि कोई है, सिद्धांततः अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के लिए अनुपालन रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।
- (ग) खनन पट्टे की मूल अवधि के लिए ऐसी वन भूमि के अपवर्जन हेतु अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन की मंजूरी से अलग ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार यथास्थिति वन सलाहकार समिति, या राज्य सलाहकारी समूह की सलाह पर विचार करने के पश्चात् और आगे जांच जो वह ठीक समझे, के पश्चात् अवधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित शर्तों या उनकी अस्वीकृति के साथ जो बीस वर्ष से

अनधिक नहीं होगा, के लिए खनन अधिकार के नवीकरण के लिए यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव को आरंभिक अनुमोदन कर सकेगी।"

9. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध होने पर कार्यवाही -

- (1) केन्द्र शासन, उन वन क्षेत्र जहां इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों के सम्बन्ध में अपराध हुआ है, के लिए अधिसूचना द्वारा वन संरक्षक स्तर के या उस वन क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकारी को, उस न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में वह भूमि स्थित हो, उस/उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने जिनके विरुद्ध प्राथमिक रूप से इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करना पाया जाता है, शिकायत दर्ज करने हेतु अधिकृत करेगा।

परन्तु ऐसी शिकायत तब तक दर्ज नहीं की जावेगी जब तक उन व्यक्ति/व्यक्तियों को उस अपराध के संबंध में, जिसकी न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाना है, लिखित सूचना न दी जावे तथा उन्हें अपने बचाव के लिए 60 दिन के अन्दर उत्तर देने का अवसर न दिया जावे।

- (2) उपरोक्त उपनियम (1) के अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी, राज्य शासन, अन्य अधिकारी, व्यक्ति या प्राधिकारी से निर्धारित समय सीमा में ऐसी रिपोर्ट, सांख्यिकी अभिलेख, नियम आदि की जानकारी, जो सम्बन्धित न्यायालय में शिकायत दर्ज करने में आवश्यक हो मांग सकेगा और प्रत्येक राज्य सरकार, अधिकारी, व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसी जानकारी देने हेतु बाध्य होगा।

अनुसूची
(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति लेने का फार्म

- (1) परियोजना के ब्यौरे -
 - (i) उन प्रस्ताव तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण जिस हेतु वन भूमि आपेक्षित है।
 - (ii) वांछित वन भूमि का साथ लगे वन सहित मानचित्र जो 1,50,000 स्केल पर हो।
 - (iii) परियोजना की कुल लागत।
 - (iv) परियोजना को वन क्षेत्र में लगाने का औचित्य।
 - (v) लागत से होने वाले लाभ का ब्यौरा (Cost Benefit Analysis)।
- (2) कुल आवश्यक भूमि का उपयोग के कारण सहित मद वार ब्यौरा (Purpose wise breakup of the land required)।
- (3) परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों का विवरण -
 - (i) परिवार की संख्या।
 - (ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या।
 - (iii) इनको पुनः बसाने की योजना (संलग्न) की जावे।
- (4) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। (हां/नहीं)
- (5) क्षतिपूर्ति वन रोपण को लगाने तथा उसकी सुरक्षा करने का मूल्य और / या दण्ड स्वरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा सुरक्षित क्षेत्र (Safety zone) में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा का मूल्य जो उस योजना के अनुसार जो राज्य शासन ने तैयार की है का मूल्य वहन करने का वचन पत्र।
- (6) हिदायतों के अनुसार संलग्न प्रमाण पत्र, अभिलेख आदि के विवरण।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
पद
उपयोगकर्ता का पता
प्रस्ताव का राज्य का अनुक्रमांक

(नोडल आफिसर द्वारा भरा जावेगा)

भाग II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

प्रस्ताव का राज्य का अनुक्रमांक

(7) परियोजना/स्कीम की भौगोलिक स्थिति -

- (i) राज्य
- (ii) जिला
- (iii) वन मण्डल
- (iv) प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल
- (v) वन की वैधानिक स्थिति
- (vi) वनस्पति का घनत्व
- (vii) सिंचाई/पन बिजली योजना के मामले में FRI, FRI-2 मीटर FRI 4 मीटर पर वैज्ञानिक नामों में प्रजाति वार, तथा गोलाई वार (Diameter Clas) वार वृक्षों की गणना की सूची।
- (viii) भूमि कटाव के लिए वन क्षेत्र का महत्व पर संक्षिप्त नोट।
- (ix) वन की सीमा से प्रस्तावित भूमि की दूरी।
- (x) क्या यह भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वायोस्फियर रिजर्व, टायगर रिजर्व, हाथी का मार्ग (Elephant Corridor) आदि का भाग है। यदि हां तो क्षेत्र के विवरण सहित मुख्य वन प्राणी संरक्षक (Chief Wild life warden) की राय सहित प्रस्तुत करें।
- (xi) क्या क्षेत्र में कोई दुर्लभ/संकटा पत्र/एकमेव (Unique) वनस्पति या प्राणी पाया जाता है। यदि हां तो विवरण दे।
- (xii) क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्व/राष्ट्रीय महत्व/या Deffence establishment/या कोई महत्व पूर्ण पुरानी यादगार (monament) स्थित है, यदि हां तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का अनापत्ति (NOC) संलग्न करें।

(8) क्या उपयोगकर्ता द्वारा माँगी गई वन भूमि (भाग 1 के कालम 2 में दी हुई) को बदला नहीं जा सकता, तथा परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम है ? यदि नहीं तो इसके एवज में परिवर्तित स्थल जिसका निरीक्षण किया गया, का विवरण दे।

(9) क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन कर किया है (हां/नहीं) यदि हां तो उसका विवरण, कार्य करने का समय, गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें क्या ऐसा कार्य अभी चालू है।

(10) क्षति वन रोपण योजना का ब्यौरा -

- (i) क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहिचान किये गये गैर वन क्षेत्र, अवक्रमित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार ।
- (ii) क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहिचान किये गये गैर वन क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र ।
- (iii) रोपण की जो वाली प्रजतियों, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय-सूची, लागत डाटा आदि सहित विस्तृत क्षति पूरक वन रोपण स्कीम।
- (iv) क्षति पूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।
- (v) वन रोपण के लिए क्षति पूरक वन रोपण हेतु पहिचान किये गये क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो कि उप-वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी नहीं हो) ।
- (11) उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट जिसमें कालम (11, 12) तथा उपरोक्त 8, 9 के विषय में विस्तृत टीप हो।
- (12) वन मण्डल/जिले की जानकारी -
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल
- (ii) जिले का वन क्षेत्र
- (iii) वर्ष 1980 से कितना क्षेत्र का निर्वनीकरण हुआ। प्रकरणों की संख्या सहित।
- (iv) जिले/वन मण्डल से वर्ष 1980 से कितना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित था -
- a) वन भूमि पर (दण्ड स्वरूप क्षतिपूर्ति वनरोपण सहित)
- b) गैर वन भूमि पर
- (v) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की प्रगति जो दिनांक को देखी गई
- a) वन भूमि
- b) गैर वन भूमि पर
- (13) उप वन संरक्षक (DCF) की विशिष्ट सिफारिश प्रस्ताव स्वीकार करने या अन्यथा सम्बन्धी

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पद

सील

भाग III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

- (14) क्या उस स्थल का, जहां प्रस्तावित भूमि स्थित है, वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण दिनांक तथा निरीक्षण टीप संलग्न करें।
- (15) क्या वन संरक्षक भाग "B" में दी गई जानकारी तथा उप वन संरक्षक की सिफारिश से सहमत हैं।
- (16) वन संरक्षक की विशिष्ट सिफारिश प्रस्ताव स्वीकार करने या अन्यथा सम्बन्धी कारण सहित।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

भाग IV

(नोडल आफिसर या प्रमुख वन संरक्षक या वन विभाग के प्रमुख द्वारा भरा जावेगा)

- (17) प्रस्ताव मन्जूर करने या न करने के संबंध में राज्य वन विभाग की विशिष्ट सिफारिश और विस्तृत राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा दी गई विपरीत टिप्पणी पर केटेगरी वार चर्चा की जावे और उस पर Critically comment की जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

भाग V

सचिव, राज्य शासन, वन विभाग या अन्य अधिकारी जो अवर सचिव से कम स्तर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।

- (18) राज्य शासन की सिफारिश -

(नोट भाग - II, III, IV, में की गई विपरीत टिप्पणी पर विशेष नोट दिया जावे)

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

फार्म - B

देखें - नियम - (6)

उन योजना के लिये जिस को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व में अनुमति दी जा चुकी है, उनके धारा (2) के अन्तर्गत नीवनीकरण के लिए फार्म।

भाग - I

- (1) उस पत्र का क्र. तथा दिनांक जिसके द्वारा केन्द्र शासन ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति दी थी। (प्रतिलिपि संलग्न करें।)
- (2) योजना का विवरण
 - (i) परियोजना, योजना के संबंध में, जिस हे वन भूमि की आवश्यकता है, संक्षिप्त टीप।
 - (ii) आवश्यक वन भूमि का, उसके लगे वन क्षेत्र दर्शाते हुए, 1,50,000 स्केल का मान चित्र।
 - (iii) परियोजना की लागता।
- (3) आवश्यक वन भूमि का-मद वार ब्यौरा-जिसमें से कितने क्षेत्र पर काम हो गया है, कितना शेष है, दर्शावे।
- (4) हिदायतों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेख जो संलग्न किये उनका विवरण।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

राज्य का प्रस्ताव का अनुक्रमांक

(नोडल आफिसर द्वारा भरा जावेगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

राज्य का प्रस्ताव का अनुक्रमांक

(5) योजना/स्कीम का स्थल -

- (i) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
- (ii) जिला
- (iii) वन मण्डल का नाम
- (iv) उप वन भूमि का, जिसका निर्वनीकरण प्रस्तावित है, क्षेत्रफल (है.)
- (v) वन की वैधानिक स्थिति
- (vi) वनस्पति का घनत्व
- (vii) खडे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मण्डल क्षेत्र (Biosphere Reserve), टायगर हेतु आरक्षित, हाथी मार्ग (Elephant Corridor) के अन्तर्गत है। यदि हाँ तो सम्बन्धित मुख्य वन प्राणी संरक्षक की राय संलग्न करें।

- (6) क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) आदि हाँ, तो उस कार्य का विवरण, अवधि, चूक करने वाले अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें/वया उल्लंघन अभी चालू है ?
- (7) उप वन संरक्षक द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट जिसमें केन्द्र द्वारा स्वीकृति के अन्तर्गत दी गई शर्तों का पालन कितना हुआ, दर्शाया जावे।
- (8) संभाग/जिले का विवरण -
- जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल
 - जिले का वन क्षेत्र
 - वर्ष 1980 से कितने प्रकरणों में कितना क्षेत्र का निर्वनीकरण हुआ।
 - वर्ष 1980 से जिला/वनमण्डल में कितना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण होना था -
 - वन भूमि पर (दण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सहित)
 - गैर व भूमि पर
- (9) उपभोगकर्ता की प्रस्तावना को स्वीकार करने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में राय (कारण सहित)।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

भाग - III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

- (10) क्या वन संरक्षक ने उस क्षेत्र का जहां ऐसी वन भूमि स्थित है, निरीक्षण किया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण का दिनांक तथा निरीक्षण के दौरान जो देखा उस पर संक्षिप्त टीप दे। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें।
- (11) क्या भाग- II में उप वन संरक्षक द्वारा दी गई जानकारी एवं उप वन संरक्षक की राय से वन संरक्षक सहमत है।
- (12) वन संरक्षक की विशेष सिफारिश, प्रस्ताव मानने या अमान्य करने विषयक, (कारण सहित)।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पद

सील

भाग - IV

(नोडल आफिसर/प्रमुख वन संरक्षक, या वन विभाग प्रमुख द्वारा अग जायेगा)

(13) राज्य वन विभाग की विशिष्ट राय प्रस्ताव को अनुमति देने या न देने सम्बन्धि निश्चित सिफारिश।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पद

सील

भाग - V

राज्य शासन के सचिव, वन विभाग या अन्य अधिकृत अधिकारी, जो अवर सचिव से कम स्तर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।

(14) राज्य शासन की सिफारिश

भाग- II. III तथा 14 में की गई विपरीत टीप पर विशेष टीप दी जावे।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पद

सील

1["प्ररूप ग"]

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

भाग - 1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौर :

- (i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे
- (ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति
- (iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता
- (iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त आवेदन करने के लिए इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकार के समर्थन में दस्तावेज (हाँ/नहीं)
- (v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु
- (vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

- (vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय था विभाग द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे
- (viii) पूर्वक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे
- (ix) पूर्वक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :
- (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (ख) वन भूमि में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है :
- (xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत:
- (xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अधिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है अपयोजित वन भूमि का ब्योरा :
- (xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :
2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा
- (i) पूर्वक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:5000 स्केल परत (तों) का भारतीय सर्वेक्षण: पूर्वक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा:, प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियां छेदने उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सडकों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षण आदि में पहचान की गई वन भूमि की सीमा से (10 कि.मी.) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र।
- टिप्पणी 1. यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियां सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।
- टिप्पणी 2. तकनीकी कारणों से पूर्वक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध-छिन्द्र नमूने प्लाट खण्ड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
-
1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा.का.नि. 185(अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के प्ररूप 'ग' जोड़ा गया ।
-
3. (I) वन भूमि में पूर्वक्षण के लिए न्यायोचितता :
- (II) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :
- (III) गैर आक्रमक पूर्वक्षण क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा किया गया हो :
4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)
5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :
- (i) सतह नमूने
- (क) ग्राह प्रतिचयन
- (ख) चिप प्रतिचयन
- (ग) खांचा प्रतिचयन

- (घ) चैनल प्रतिचयन
 (ङ) प्रपुंज प्रतिचयन
 (च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन
- (ii) गड्डा या खाई बनाना
 (क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास
 (ख) उत्खनन की कुल मात्रा
 (ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र
- (iii) वेधन
 (क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
 (ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन
 (ग) प्रत्येक वेध छिद्र या कुओं पर अस्थायी रूप से बाधित किये जाने वाले क्षेत्र
 (घ) प्रत्येक वेधछिद्रया कुओं पर स्थायी रूप से बाधित दिए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
 (ङ) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
 (च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
 (छ) वेधन कोर नमूनों की मात्रा
- (iv) सडकों या पथों का संनिर्माण
 (क) निर्माण किए जाने वाली सडकों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
 (ख) सडकों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
- (v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 कुल :
6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (i) सतह प्रतिचयन :
 (ii) गड्डा या खाई बनाना :
 (iii) वेधन:
 (iv) सडकों या पथों का संनिर्माण:
 (v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 कुल :
7. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र
- (i) सतह प्रतिचयन :
 (ii) गड्डा या खाई बनाना :
 (iii) वेधन:
 (iv) सडकों या पथों का संनिर्माण:
 (v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 कुल :

8. पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे -

| क्रम सं. | उपस्कर या मशीनरी का नाम | कर्षण का ढंग | आकार (एल X बी X एच) | प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे) | अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल) |
|----------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।
10. पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।
11. पूर्वक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)

| क्रम सं. | नमूनों के ब्यौरे | संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा मीट्रिक टन |
|----------|------------------|--|
| | | |

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता आश्वस्त स्तर :
13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर :

| | शुद्धता | आश्वस्त स्तर (%) |
|-------|---------|------------------|
| (i) | (10 %) | |
| (ii) | (20 %) | |
| (iii) | (30 %) | |
| (iv) | (40 %) | |
| (v) | (50 %) | |

14. यदि पूर्वक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :-
- (i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

| क्रम सं. | दिए गए अनुमोदन और तारीख | पूर्वक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र | अनुमोदन की विधिमान्य से तक |
|----------|----------------------------|--|-------------------------------|
|----------|----------------------------|--|-------------------------------|

- (ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
 (iii) उल्लंघन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
 (iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।
 (v) अभी तक किए गए पूर्वक्षण क्रियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे -
 तारीख :
 स्थान :

हस्ताक्षर
 (स्पष्ट अक्षरों में नाम)
 पदनाम
 पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)
 प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.
 (प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

भाग - 2

(संबद्ध उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
 (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
 (ii) जिला
 (iii) जिला वन प्रभाग
 (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा
 (i) वन का प्रकार
 (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
- (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी:
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :
- (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा:
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)
- (iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित हैं। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे)
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युतियुक्ता के बारे में टीका टिप्पणियां दे :
- (i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोजित अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वनभूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति

- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण के सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिवक्या, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वितीय उपरिच्यय :
- (vi) वया क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाणपत्र संलग्न है, (हां/नहीं)
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हाँ/नहीं)
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

भाग - 3

(संबद्ध वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

28. क्या स्थल, जहाँ अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाये।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वनसंरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

भाग - 4

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभाग के प्रमुख द्वारा भरा जाए)

31. टिप्पणियों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए व्यापक राय और विनिर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टीका टिप्पणियों को प्रवर्गात्मक रूप में पुनर्विलोकित और उस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां दी जानी चाहिये।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

Appendix
[See Rule-6]

From for seeking prior approval under Section 2 of the proposals by State Government and other authorities.

Part I
(To be filled by user Agency)

- (1) Projects details –
- Short narrative of the proposal and project/scheme for which forest is required.
 - Map showing forest land boundary of adjoining forest on 1:50,000 Scale.
 - Cost of the project
 - Justification or location dies project in forest area.
 - Cost – benefit analysis (to be enclosed)
 - Employment likely to be generated.
- (2) Purpose-wise break-up of the total land required.
- (3) Details of displacement of people due to die project if any :
- Number of families.
 - Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe families.
 - Rehabilitation plan. (to be enclosed)
- (4) Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).
- (5) Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).
- (6) Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions.

Signature

(Name in Block letters)

Designation

Address (of User Agency)

Date

Place

State Serial No. of proposal

(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

Part II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of forests)

State Serial No. of proposal

- (7) Location of the Project/Scheme
- (i) State/Union Territory
 - (ii) District
 - (iii) Forest division
 - (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.)
 - (v) Legal status of forest.
 - (vi) Density of vegetation.
 - (vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)
 - (viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.
 - (ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.
 - (x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (if so, the details of the area and comments of the Chief wildlife Warden to be annexed).
 - (xi) Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area – if so details thereof.
 - (xii) Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.
- (8) Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.
- (9) Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials, whether work in violation is still in progress.
- (10) Details of compensatory afforestation scheme
- (i) Details of non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.
 - (ii) Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.
 - (iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.
 - (iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.
 - (v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view.
- (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).
- (11) Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.
- (12) Division/district profile:
- (i) Geographical area of the district.
 - (ii) Forest area of the district.
 - (iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.
 - (iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on
 - (v) Forest land including penal compensatory afforestation
 - (vi) non-forest land. (v) Progress of compensatory afforestation as on (date)
 - (vii) forest land.
 - (viii) Non forest land.
- (13) Specific recommendations of the DCF I or acceptance or otherwise of the proposal with reasons

Signature
Name

(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-III

(To be filled by the concerned conservator of Forests)

- (14) Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of forests (Yes/No). if yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.
- (15) Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and recommendation of Deputy Conservator of Forests.
- (16) Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

Signature
Name
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or
Head of Fore: Department)

- (17) Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While, giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Signature
Name it Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-V

(To be filled in by the Secretary in-charge of Forest Department or by any other
authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

- (18) Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

Signature
Name it Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

INSTRUCTIONS (for Part-I) :

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. I (i), e.g. IBM approved mining plan for major minerals/CMPDI plan with subsidence analysis reports, etc.
2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCI-Col. I (H).
3. Complete details of alternative alignments examined especially in case of project like roads, transmission lines, railway lines, canals, etc, to be shown on map with details of area of forest land involved in each alternative to be given Col. I(iii).
4. For proposals relating to mining, certificate from competent authority like Dis-Mining Officer about non-availability of the same mineral in surrounding/nearby non-forest area.
5. In case the same company/individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/leases be given as an enclosure along with current status of the projects.
6. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately.

GENERAL INSTRUCTIONS -

1. On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating there in the name of the proposal, user agency, and area in hectare, serial number and date of receipt.
2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/documents.
3. While forwarding the proposal to the Central Government complete details on all aspects of the case as per Form, prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to the State Government in original.
4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the same to be given in the forwarding/covering letter.

Form-'B'
(See rule 6)

Form for seeking fresh approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities in respect of 'renewal of leases, which have been earlier granted clearance under Forest (Conservation) Act, 1980

PART-I (to be filled up by user agency)

1. Letter No. & date vide which clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 accorded by the Central Government (copy to be enclosed):
2. Personal details :
 - (i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.
 - (ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1,50,000 scale map.
 - (iii) Cost of the project.
3. Purpose-wise break-up of the total land required (already broken & to be broken).
4. Details of Certificate s/documents enclosed as required under the instructions,

Signature
(Name in Block letters)
Designation
Address (of User Agency)

Date:
Place:.....

State Serial No. of proposal
(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART-I I
(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal

5. Location of the Project/Scheme :
 - (i) State/Union Territory
 - (ii) District
 - (iii) Forest Division.
 - (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.).
 - (v) Legal status of forest.
 - (vi) Density of vegetation.
 - (vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees in unbroken area.
 - (viii) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wild Life Warden to be annexed).
6. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring- offi-cials. Whether work in violation is still in progress.
7. Site inspection report of the DCF (to be enclosed) in respect to status of com-pliance of -conditions stipulated during earlier approval.
8. Division/District profile :
 - (i) Geographical area of the district
 - (ii) Forest area of the district.
 - (iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.
 - (iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on-
 - (a) Forest land including penal compensatory.
 - (b) Non-forest land.
 - (v) Progress of compensatory afforestation as on (date)
 - a) Forest land.
 - b) Non-forest land.
9. Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the pro-posal with reasons.

Signature
Name
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forest)

10. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/ No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclose.
11. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.
12. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

PART-IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

13. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:

Place:.....

PART-V

(To be filled in by the Secretary in-charge of forest Department or by and, other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

14. Recommendation of the State Government :
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:

Place:.....

INSTRUCTIONS (for Part-I)

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. 2(1) e.g., MM approved mining plan for major minerals/ CMPDI Plan will) subsidence analysis reports, etc.
2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCF-Col. 2(ii).
3. In case the same company/individual has taken forest land for similar Project in the State a brief detail of all such approvals/ cases be given as an enclosure along with current status of the projects.
Item-wise requirement (Col. 3) should be separately shown for broken up and fresh areas.
The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given proposal the same shall be annexed separately.

GENERAL INSTRUCTIONS –

1. On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therein the name of the proposal, user agency, area in hectare, serial number and date of receipt.
2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/documents.
3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned on the State Government in original.
4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the Same to be given In the forwarding/converging letter.

¹[FORM-'C']

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities for prospecting of minerals in forest land

PART-I

(To be filled in by User Agency)

1. Project details

- (i) Name, address and contact details of the User Agency :
- (ii) Legal status of the User Agency :
- (iii) Name, designation and full address of the person making application :
- (iv) Documents in support of the competence or authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency enclosed : (Yes/No)
- (v) Mineral commodity to be explored :
- (vi) Short narrative of the activities proposed to be undertaken in both forest and non-forest land
- (vii) Details of approvals accorded by the concerned Ministry or Department in the State or Central Government, as the case may be, for grant of prospecting license in favour of the User Agency :
- (viii) Details of forest and non-forest land included in the prospecting lease :
- (ix) Total area of forest land required for prospecting :
 - (a) Area of forest land likely to experience permanent change in land use
 - (b) Area of forest land likely to experience temporary change in land use
- (x) Total period for which the forest land is proposed to be utilized for prospecting:
- (xi) Estimated cost of the project :
- (xii) Details of forest land diverted earlier, if any, in favour of the User Agency in the State or Union territory along with current status of the use of such forest land:
- (xiii) Details of permission accorded earlier, if any, in favour of the User Agency for prospecting of minerals in forest land along with current status of prospecting in each case :

2. Details of Maps enclosed

- (i) Survey of India topo-sheet(s), in original in 1:50,000 scale showing boundary of prospecting block; boundary of each patch of forest land located within the prospecting block; location of each sample plot or borehole site, roads or pathway (existing as well as new pathway to be shown separately) to be used for transportation of drilling equipments; boundary of the adjoining forest and protected areas located within ten (10) Kilometers distance from boundary of forest land identified for prospecting etc. : (Yes/No).

Note 1: In case Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale is not available, especially in case of the areas located near International Borders and other strategic locations, in place of Survey of India Toposheet other maps available in public domain may also be used.

Note 2: Due to technical reasons, while undertaking the prospecting activities, the user agency may vary location of boreholes, sample plts, roads or path etc. up to 300 meters, provided area of forest land

proposed to be utilized and number of trees proposed to be cut does not exceed the same given in the proposal.

3. (i) Justification for prospecting in forest land :
(ii) Details of alternatives examined;
(iii) Detail of non-invasive prospecting activities, if any, undertaken by the user agency in the forest land indicated in the extant proposal:
4. Whether the forest land identified for prospecting is located in scheduled area (Yes/No);
 - (i) Surface sampling
 - (a) Grab sampling
 - (b) Chip sampling
 - (c) Groove sampling
 - (d) Channel sampling
 - (e) Bulk sampling
 - (f) Geochemical grid sampling with sample line spacing

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा. का.नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के प्ररूप 'C' जोडा गया।

- (ii) Pitting or trenching
 - (a) Number and dimension of pits or trenches
 - (b) Total volume of excavation
 - (c) Area of forest land to be utilized for pits or trenches
 - (iii) Drilling
 - (a) Number and diameter of boreholes or wells
 - (b) Spacing of boreholes or wells
 - (c) Area to be temporarily disturbed at each bore hole or well
 - (d) Area, if any, to be permanently disturbed at each bore hole or well
 - (e) Total meterage of boreholes or wells
 - (f) Number of drill core samples
 - (g) Volume of drill core samples
 - (iv) Construction of roads or paths
 - (a) Length and width of roads or paths proposed to be constructed;
 - (b) Area of forest land proposed to be utilized for roads or paths;
 - (v) Any other activity pl. specify)
6. Area of forest land likely to experience temporary change in land use due to :
 - (i) Surface sampling;
 - (ii) Pitting or trenching;
 - (iii) Drilling;
 - (iv) Construction of roads or paths;Total :
7. Area of forest land likely to experience permanent Change in land use due to :
 - (i) Surface sampling
 - (ii) Pitting or trenching;
 - (iii) Drilling;
 - (iv) Construction of roads/paths;
 - (v) Any other activity (pl. specify);Total :

8. Details of machinery or equipments to be deployed for prospecting :

| Sl. No. | Name of equipment or Machinery (machine hours) | Mode of traction (decibel) | Size (L x B x H) | Estimated deployment | Maximum level noise |
|---------|--|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9. Details of existing paths or roads proposed to be utilized for transport of the equipment or machines in the forest land;
10. Approximate number and approximate duration of stay in the forest land of the persons proposed to be deployed for prospecting;
11. Summary of the estimated quantity of ore and other samples proposed to be collected during the prospecting (not applicable for hydrocarbon sector);

| Sl. No. | Details of samples | Qty. proposed to be collected (Metric Tonne) |
|---------|--------------------|--|
| | | |
| | | |

12. Estimated accuracy and confidence level for mineral reserve assessment;
13. Estimated accuracy and confidence level in case number of bore holes proposed to be drilled are reduced by :

| | Accuracy (%) | Confidence level (%) |
|-------------|--------------|----------------------|
| (i) 10% : | | |
| (ii) 20% : | | |
| (iii) 30% : | | |
| (iv) 40% : | | |
| (v) 50% : | | |

14. In case the proposal is for extension of the period of the permission granted for prospecting, or for drilling of additional bore holes, please provide following additional information :

(i) Details of approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 in the past :

| Sl. No. | Number and date of the approval accorded | Area of forest land permitted for prospecting (ha) | Validity period of approval | |
|---------|--|--|-----------------------------|----|
| | | | From | To |
| | | | | |
| | | | | |

- (ii) Report on status of compliance to the conditions stipulated in the approval accorded in the past enclosed (Yes/No)
- (iii) Details of violation(s), if any committed.
- (iv) Justification for extension of permission accorded for prospecting.
- (v) Details of prospecting activities undertaken and sample collected, so far.

15. Details of documents enclosed:

Date:

Place:

Signature
(Name in Block letter)
Designation
Address (of User Agency)
State serial No. of proposal
(To be filled up by the Nodal
Officer with date of receipt)

Part – II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Division serial No. of proposal

16. Location of the project or scheme :

- (i) State/Union Territory
- (ii) District Forest Division
- (iii) Area of forest land proposed to be utilized for prospecting.

17. Legal status of forest land identified for prospecting.

18. Details of vegetation available in the forest land proposed for diversion :

- (i) Forest type;
- (ii) Average crown density of vegetation;
- (iii) Species-wise local or scientific names and girth-wise enumeration of trees required to be felled;
- (iv) Working plan prescription for the forest land proposed to be utilized for prospecting.

19. Brief note on topography and vulnerability of the forest land proposed to be utilized for prospecting to erosion.

20. Approximate distance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from boundary of the forest land.

21. Significance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from wildlife point of view:

- (i) Details of wildlife present in and around the forest land proposed to be utilized for prospecting;
- (ii) Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (iii) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within ten kilometers from boundary of the forest land proposed to be utilized for prospecting, (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (iv) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.. is located within one kilometer from boundary of the forest land proposed to be utilized or prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);
- (v) Whether any rare or endangered or unique species of flora and fauna found in the area - if so details thereof.

22. Whether any protected archaeological or heritage site or defense establishment or any other important monument is located in the area - (If so, details thereof with no-objection certificate (NoQ from competent authority to be annexed).

23. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed to be utilized for prospecting:
 - (i) Whether the requirement of forestland as proposed by the User Agency in pars 6 and para-7 of the Part- I is unavoidable and bare minimum for the project.
 - (ii) If no, recommended area of forest land which may be used for prospecting.

24. Details of violation committed:
 - (i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out (Yes/No).
 - (ii) If yes, details of the violation including period of work done, area of forest land involved in violation, name, address and designation of the person(s) responsible for violation and action taken against the person(s) responsible for violation;
 - (iii) Whether work in violation is still in progress (Yes/No):

25. Details of compensatory afforestation scheme:
 - (i) Legal status of the land identified to raise compensatory afforestation;
 - (ii) Details such as location, Survey or Compartment or Khasra number, area and distance from adjoining forest of each plot of non-forest area or degraded forest land identified for compensatory afforestation;
 - (iii) Survey of India Toposheet (s), in original in 1:50,000 scale showing non-forest or degraded forest land identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries enclosed? (Yes/No);
 - (iv) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. enclosed (Yes/No);
 - (v) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme;
 - (vi) Certificates from the concerned Deputy Conservator of Forests regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view enclosed? (Yes/No);

26. Site inspection report of the Deputy Conservator of Forests highlighting important facts pertaining to the impact of proposed activities on flora and fauna enclosed (yes/No);
27. Specific recommendations of the Deputy Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-III
(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

28. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by the Conservator of Forests (Yes/No). If yes the date of inspection and observations made in form of inspection note to be enclosed.
29. Whether the Conservator of Forests agree with the information given in Part-II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.
30. Specific recommendation of Conservator of Forests for acceptance or other-Ms.,: of the proposal with detailed reasons.

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART-IV
(To be filled by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests
or Head of Forest Department)

31. Detailed opinion and specific recommendation of for acceptance or otherwise of the proposal with remarks
(While giving opinion, the adverse comments made by the Conservator of Forests or Deputy Conservator of
Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

PART – V
(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by
any other authorized officer of the State Government
not below the rank of an Under Secretary)

32. Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part -III or Part-IV above should be
specially commented upon)

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

Date:
Place:.....

[F. No. 11 -43/2013-FC]
M.S. NEGI, Inspector General of Forests (Forest Conservation)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR. 23 (E)-dated the 10th January,
2003 and subsequently amended vide GS.R 94 (E) dated the 3rd February, 2004 and vide
GS.R 107 (E) dated the 9th February, 2004.